

फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलगि (FOPL) सस्टिम

प्रलिमि्स के लिये:

एफओपीएल ससि्टम, FSSAI, डब्ल्यूएचओ, FAO, गैर-संचारी रोग ।

मेन्स के लिये:

फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) सिस्टम और संबंधित चिताएँ, स्वास्थ्य, उपभोक्ता।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **40 वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों** ने दावा किया कि <mark>भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण</mark> (FSSAI) द्वारा उपभोक्ताओं को अस्वास्थ्यकर खाद्य (Unhealthy foods) पदार्थों के सेवन को कम करने में मदद करने हेतु **"स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली**" को अपनाने की योजना **साक्ष्य-आधारति** नहीं है तथा यह खरीदार के व्यवहार को बदलने में विफल रही है।

■ FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियिम, 2006 (FSSAI अधनियिम) के तहत स्थापित एक <mark>स्वा</mark>यत्त वैधानिक निकाय है

प्रमुख बदु

भूमिका:

- भारत में फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) की सिफारिश पहली बार वर्ष 2014 में FSSAI द्वारा 2013 में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी।
- वर्ष 2019 में FSSAI ने खादय सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम मसौदा पर अधिसूचना जारी किया था ।
 - ॰ मसौदा खाद्य पदार्थों पर कलर-कोडेड लेबल (Colour-Coded Labels) को अनविार्य बनाता है।
- दिसंबर, 2019 में FSSAI ने FOPL को सामान्य लेबलिंग नियमों से अलग कर दिया।
- 15 फरवरी, 2022 को FSSAI ने फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) के लिये अपने मसौदा नियमों में "हेल्थ-स्टार रेटिंग सिस्टम" को अपनाने का फैसला लिया।

हेल्थ स्टार रेटगि (HSR) ससिटम:

- हेल्थ-सुटार रेटिंग सिस्टिम किसी उतपाद को 1/2 सटार से 5 सटार तक की रेटिंग देता है।
- HSR प्रारूप नमक, चीनी और वसायुक्त सामग्री के प्रारूप के आधार पर एक पैकेज्ड खाद्य पदार्थ लो रैंकिंग करता है तथा रेटिंग पैकेज पर मुद्रित की जाती है।
- यह भारत (जो दैनिक जीवन से संबंधित बीमारियों से ग्रसित एक देश है) में इस तरह की पहली रेटिंग होगी, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन चुनने के लिये मार्गदर्शन करना है।

फ्रंट-ऑफ-पैक (FoP) लेबलगि ससि्टम:

- FoP लेबलिंग सिस्टम को लंबे समय से उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन विकल्पों में शामिल करने के लिंगे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
 - ॰ यह ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे **सगिरेट के पैकेट पर खपत को हतोत्साहति** करने के लिये छवियों के साथ **लेबलगि की जाती** है।
- जैसे-जैसे भारत अधिक प्रसंस्कृत और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों के साथ आहार में बदलाव का अनुभव कर रहा है
 तथा यह एक बढ़ते बाज़ार में ये कारक भारत के लिये FoP लेबलिंग की आवश्यकता को प्रेरित करता हैं।
 - यह बढ़ते मोटापे और कई गैर-संचारी रोगों से लड़ने में उपयोगी भूमिका निभाएगा।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) FoP लेबल को पोषण लेबलिंग सिस्टम के रूप में परिभाषित करता है जो खाद्य पैकेजों के फ्रंट में प्रस्तुत किये जाते हैं और पोषक तत्व सामग्री या उत्पादों की पोषण गुणवत्ता पर सरल, अक्सर ग्राफिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं।
 - ॰ खाद्य पैकेजों के पीछे प्रदान की गई अधिक वसि्तृत पोषक घोषणाओं को पूरा करने के लिये इनका प्रयोग किया जाता है।
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने उल्लेख किया है कि "FoP लेबलिंग को पोषक तत्वों की घोषणाओं की व्याख्या करने में सहायता करने के लिये डिजाइन किया जाता है"

भोजन के लिये स्वास्थ्य रेटिंग प्रणाली की क्या आवश्यकता है?


- स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लागत को कम करना:
 - ॰ FoPL के लागू होने के बाद से अधिकांश देशों ने सकारात्मक उपभोक्ता व्यवहार से लाभ उठाना शुरू कर दिया है।
 - ॰ इसने उन सरकारों को प्रत्यक्ष और अपुरत्यक्ष स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लागत को कम करने में मदद की है।
 - चिली और ब्राज़ील उन देशों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने फूड पैक पर 'हाई-इन (high-in)' चेतावनी लेबल को अपनाया है, जो अस्वास्थ्यकर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की खपत को कम करने में सफल रहा है।
- एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लियै:
 - भारत में फ्रंट-ऑफ-पैकेज चेतावनी लेबलिंग एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिये एक व्यापक रणनीति का एक प्रमुख घटक है क्योंकि वे उपभोक्ताओं को चीनी, सोडियम, संतृप्त वसा, ट्रांस वसा और कुल वसा में उच्च उत्पादों की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं जो<u>गैर-संचारी रोग (NCDs)</u> से जुड़े महत्त्वपूर्ण पोषक तत्व हैं।

संबंधति चताएँ:

- सकारात्मक पोषक तत्वों की मास्किंग: अधिकांश उपभोक्ता संगठनों ने 'सकारात्मक पोषक तत्व' के रूप में आपत्ति जताई, जिससे भोजन में उच्च वसा, नमक और चीनी के नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा और उदयोग उपभोक्ता को गुमराह करने हेतू इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- प्रतिबंधित लक्षित समूह: लेबलिंग प्रारूप केवल उन व्यक्तियों को ही लक्षित होता है जो साक्षर और पोषण के प्रति जागरूक हैं।
 - ॰ इसके अलावा सीमति सामान्य और पोषण साक्षरता का मतलब है कि पाठ-गहन पोष<mark>क तत्वों की जानकारी</mark> को सम<mark>झना</mark> मुश्किल है।
- उपभोक्ताओं के भ्रमित होने की संभावना: HSR प्रणाली एक "स्वास्थ्य हेलो" (Health Halo) की ओर ले जा सकती है, जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकती है।

आगे की राह:

- सचित्र प्रकाशन पर अधिक ज़ोर:
 - ॰ लगभग एक चौथाई भारतीय आबादी नरिकषर है इसलिय सचित्र परकाशन बेहतर जुड़ाव और समझ को विकसित करेगा।
 - खाद्य छवियों का लोगो और स्वास्थ्य लाभों के साथ भारत में फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग के लिये प्रतीक आधारित होना फायदेमंद हो सकता
 है।
- अधिक अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता:
 - ॰ पैंक लेबलिंग के अनिवार्य करने से पहले मज़बूत शोध एक ऐसे प्रारूप में होना चाहिये जो सभी के लिये समझने योग्य और स्वीकार्य हो।
- विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य रुचि पर आधारित:
 - ॰ किसी भी प्रकार के हितों के टकराव से बचने हेतु लेबल चुनने के निर्णय को व्यावसायिक हितों से मुक्त रखा जाना चाहिये।
 - ॰ लेबल का चुनाव वैजञानकिता पर आधारति होना चाहयि और सारवजनकि सवासथय हति चरचा के केंदर भी सथापति में होना चाहयि ।



यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न (पीवाईक्यू)

प्रश्न. निम्नलखिति कथनों पर विचार कीजिय: (2018)

- 1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियिम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का स्थान लिया है।
- 2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) केंद्रीय स्वास्थ्य और परविार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानदिशक के अधीन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
 है। इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों को संभालने वाले विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित करता है।
- खाद्य मानक और सुरक्षा अधिनियिम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियिम, 1954 जैसे कई अधिनियिमों और फल उत्पाद आदेश, 1955 आदि आदेशों को प्रतिस्थापित किया। अत: कथन 1 सही है।
- FSSAI का नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो या तो भारत सरकार के सचिव के पद से नीचे का पद धारण करता है या रखता है। यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार के अधीन नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

स्रोत: बजिनेस स्टैंडर्ड

